फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रमेश बनाम बंशी

...त संख्या : 33/24 S/91

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/1/25	पत्रावली पेश हुई । न. क. उप., पत्रावली साबिक आदेश 3/1/25 अनुसार आगामी पेशी दिनांक 24/1/25 को पेश हो ।	
	24/1/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी एवं प्रतिवादी उप.। आ.ता. पेशी पर बहस करें। पत्रावली दिनांक 30/1/2025 को पेश हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	30/1/2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष व प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। तथा जाहिर किया कि बहस हेतु एक अवसर दिया जावे। उभयपक्ष आ.ता.पेशी पर बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/2/2025 को पेश हो सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	6/2/2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वाद वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: Self-Attested

प्रकरण संख्या – 33/2024
बउनवानी – रमेश बनाम बंशी वगै0
निर्णय दिनांक – 06.02.2025

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 33/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 13.05.2024

1. रमेश पुत्र नानूडा
2. सुरज पुत्र नानूडा
3. संतोष पुत्री नानूडा

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर

.... **वादीगण**

बनाम

1. बंशी पुत्र नानूडा
2. गोपाल पुत्र नानूडा
3. किशनी पत्नी नानूडा बनाम
4. तेजपाल पुत्र काना पौत्र नानूडा
5. सोहन पुत्र काना पोत्र नानूडा
6. राजेन्द्र पुत्र काना पोत्र नानूडा
7. मंजू पुत्री काना पोत्री नानूडा
8. सुन्दरी पत्नी काना पुत्रवधू नानूडा
9. मुकेश पुत्र गुल्ला पोत्र नानूडा
10. दिपक पुत्र गुल्ला पोत्र नानूडा
11. रोशन पुत्र गुल्ला पोत्र नानूडा
12. बबली पुत्री गुल्ला पोत्री नानूडा
13. सीमा पुत्री गुल्ला पोत्री नानूडा
14. सेडी देवी पत्नी गुल्ला पुत्रवधू नानूडा

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जिला जयपु

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ... जयपुर ।
16. उप पंजीयक जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर

.........**प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

<u>वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा धारा – 88,188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

प्रकरण संख्या – 33 / 2024
बउनवानी – रमेश बनाम बंशी वगै0
निर्णय दिनांक – 06.02.2025

उपस्थिति :–

1. श्री राजकुमार शर्मा – अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री बनवारी लाल शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 10, 12, 14 की ओर से

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम ग्राम विजयपुरा, पटवार हल्का रायथल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा हाल तहसील जालसू जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 6 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 10 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 18 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 88 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 97 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 133 रकबा 2 बिस्वा है कुल किता 8 कुल रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण एवं मुख्य प्रतिवादीण के पूर्वज श्री भौरिया पुत्र आना के नाम हिस्सा 1६3 राजस्व रिकोर्ड में खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2010 से 2023 में दर्ज व अंकित रही है। जो वादीगण की दादा थे। उनकी मृत्यू के पश्चात् वादीगण के पिता नानूडा, गौरिया, रामनाथ, कजौड मोती पुत्रान भोरिया के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित हुआ जिसका इन्द्राज जमाबंदी खेवट खतौनी 2035 से 2038 में दर्ज अंकित हुये जिसमें वादीगण के पिता नानूडा का 1/5 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित है । वादीगण के पिता नानूडा का स्वर्गवास वर्ष 1983 में हो गया। 2. यह कि दौराने बंदोबस्त उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर के हाल आराजी भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 58 के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0. 4500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 281 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 64 पुराना खाता सख्या 55 के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा [illegible] रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 2.15 हैक्टेयर, [illegible] 9.72 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 90 पुराना 64 के खसरा नम्बर [illegible]03 हैक्टेयर कायम किये गये जो वाके ग्राम ग्राम विजयपुरा, पटवार हल्का रायथल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा हाल तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित है। यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि को वाद पत्र के आगे के मदो में केवल नानूडा पुत्र भौरिया का हिस्सा ही विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जावेगा । यह कि मद नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात मिसल बदोस्त सम्वत 2010 लगायत 2023 में हरिया, गोरिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

भौरिया पिसरान आना कौम अहीर सा. देह के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित चली आ रही है। भैरिया पुत्र आना की मृत्यू के उपरान्त उक्त आराजी में भैरिया के विरासत का नामान्तरण भैरिया के विधिक वारिसान नानूडा, गारिया, रामनाथ, कजोड व मोती के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकोर्डेड में दर्ज व अंकित किया गया ।

5. यह कि तत्पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के पूर्वज पिता/पति/दादा नानूडा के स्वर्गवास वर्ष 1983 में हो गया था के उपरोन्त नानूडा की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम तस्दीक नही किया जाकर केवल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 14 के पूर्वज के नाम तस्दीक किया गया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया । वादीगण के पिता नानूडा की मृत्यू के समय वादी संख्या 1 रमेश उम्र 17 वर्ष वादी संख्य 2 सूरज उम्र 9 वर्ष व वादी संख्या 3 संतोष उम्र 15 वर्ष थी अर्थात वादीगण अपने पिता के स्वर्गवास के समय नाबालिग थे। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये मुख्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 4 लगायत 8 के पूर्वज काना व 9 लगायत 14 के पूर्वज गुल्ला ने उक्त पैतृक आराजी का नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियो से साज कर तन्हा अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अमल करवा लिया। जबकि वादीगण का भी उक्त नानूडा पुत्र भौरिया की आराजी में बहिस्सा बराबर बराबर निहित था। अर्थात वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 के पूर्वज काना व गुल्ला का नानूडा के हिस्से की आराजी में 1/40–1/40 हिस्सा निहित था । वादीगण का भी उक्त विवादग्रस्त आराजी में 1/40–1/40–1/40 निहित था । विवादग्रस्त आराजी कृषि वादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का बाई बर्थ राईट निहित है ।

राजस्थान सराकर के आदेश क्रमांक प.5 (1) राजस्व –6/97/18 दिनांक 08–01–2007 के विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो का जन्म से अधिकार होते है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकते है। उपरोक्त विधिक परिपत्र के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि में जन्म से हक अधिकार निहित हो गया है । जानकारी होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने पर वाद पत्र प्रस्तुत किया।

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तोवज साक्ष्य में हाल जमाबंदी संवत 2076–2079, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2023, नकल नामान्तकरण विरासत, नकल मृत्यु प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर न., जयपुर

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10, 12 व 14 के द्वारा दिनांक 18.06.2024 को जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित किया है कि वाके ग्राम विजयपुरा, पटवार हल्का रायथल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा हाल तहसील जालसू जिला जयपुर के साबिक खसरा नम्बर 6 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 10 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 17 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 18 रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 88 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 133 रकबा 2 बिस्वा है कुल किता 8 कुल रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण एवं मुख्य प्रतिवादीण के पूर्वज श्री भौरिया पुत्र आना के नाम हिस्सा 1/3 राजस्व रिकोर्ड में खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2010 से 2023 में दर्ज व अंकित रही है। जो वादीगण की दादा थे। उनकी मृत्यू के पश्चात् वादीगण के पिता नानूडा, गौरिया, रामनाथ, कजौड मोती पुत्रान भोरिया के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित हुआ जिसका इन्द्राज जमाबंदी खेवट खतौनी 2035 2038 में दर्ज अंकित हुये जिसमें वादीगण के पिता नानूडा का 1ध्5 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित है । वादीगण के पिता नानूडा का स्वर्गवास वर्ष 1983 में हो गया जो सही है ।प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया है। कि दौराने बंदोबस्त उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर के हाल आराजी भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 58 के खसरा नम्बर 267 रकबा 0. 5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.4500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 281 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2. 45 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 64 पुराना खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 1.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 2.15 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 9.72 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 90 पुराना 64 के खसरा नम्बर ... रकबा 0.03 हैक्टेयर कायम किये गये जो वाके ग्राम ग्राम विजयपुरा, पटवार हल्का रायथल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा हाल तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है । यह कि वाद पत्र का मद नम्बर 3 वादी स्वंय साबित करे। भैरिया पुत्र आना की मृत्यू के उपरान्त उक्त आराजी में भैरिया के विरासत का नामान्तरण भैरिया के विधिक वारिसान नानूडा, गारिया, रामनाथ, कजोड व मोती के नाम बहिस्सा बराबर बराबर राजस्व रिकोर्डेड में दर्ज व अंकित किया गया जो राजस्व रिकोर्डनुसार सही है। जिसगें वादीगण का भी उक्त नानूडा पुत्र भौरिया की आराजी में बहिस्सा बराबर बराबर निहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

है अर्थात वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 व के प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 के पूर्वज काना व गुल्ला का नानूडा हिस्से की आराजी में 1/40–1/40 हिस्सा निहित था । वादीगण का भी उक्त विवादग्रस्त आराजी में 1/40–1/40–1/40 निहित था । वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा खानदान जो सही है। वाद अधीन आराजी पैतृक आराजी है। प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है वादअधीन भूमि में वाद का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत जन्म से हक व अधिकार निहित हैं ?

.... वादीगण

2. आया वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् वाद अधीन कृषि भूमि का अवैध अंतरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी 4 ता 14 ने उक्त आराजी अपने नाम करवा ली ?

.... वादीगण

3. आया विवादित आराजी भूमि में वादीगण को हिस्सा 1/40 –1/40 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ताकि राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे ?

.... वादीगण

4. आया प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

.... वादीगण

5. आया वादीगण, प्रतिवादीगण को उसके उपयोग उपभोग के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता ?

.... वादीगण

तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 रमेश पुत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
2. PW2 संतोष पुत्री नानूडा ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
3. PW3 सुरज पुत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर

प्रतिवादी साक्ष्य वादी हेतु प्रतिवादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

1. DW1 सोहन पुत्र काना पौत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर ।
2. DW2 मुकेश पुत्र गुल्ला पौत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
3. DW3 तेजपाल पुत्र काना पौत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर

सहायक कलक्टर
जयपुर

4. DW4 राजेन्द्र पुत्र काना पौत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
5. DW5 दीपक पुत्र गुल्ला पौत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
6. DW6 बंशी पुत्र नानूडा पौत्र नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
7. DW7 मंजु पुत्री काना पौत्री नानूडा निवासी निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
8. DW8 बबली पुत्री गुल्ला पौत्री नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
9. DW9 सुन्दरी पत्नी काना पुत्रवधू नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर
10. DW10 सेडी पत्नी गुल्ला पुत्रवधू नानूडा निवासी ग्राम विजयपुरा रायथल तहसील जालसू जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है वादअधीन भूमि में वाद का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत जन्म से हक व अधिकार निहित हैं ?

.... वादीगण

2. आया वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् वाद अधीन कृषि भूमि का अवैध अंतरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी 4 ता 14 ने उक्त आराजी अपने नाम करवा ली ?

.... वादीगण

तनकी संख्या 1 व 2 सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 1 व 2 को न्यायालय के समक्ष स्थापित करने का भार वादीगण पर है। इसके सन्दर्भ में वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह वर्णित कियां गया है कि खसरा नम्बर 6 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा खसरा [illegible] रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 17 रकबा 2 बीघा [illegible] बिस्वा, खसरा [illegible] रकबा 14 बीघा, खसरा नम्बर 88 रकबा 3 बीघा 11 [illegible] रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 133 रकबा 2 बिस्वा है कुल किता 8 कुल रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादीगण एवं मुख्य प्रतिवादीण के पूर्वज श्री भौरिया पुत्र आना के नाम हिस्सा 1\3 राजस्व रिकोर्ड में खतोनी बंदोबस्त सम्वत 2010 से 2023 में दर्ज व अंकित रही है। जो वादीगण की दादा थे। उनकी मृत्यू के पश्चात् वादीगण के पिता नानूडा, गौरिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

रामनाथ, कजौड मोती पुत्रान भोरिया के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित हुआ जिसका इन्द्राज जमाबंदी खेवट खतौनी 2035 से 2038 में दर्ज अंकित हुये जिसमें वादीगण के पिता नानूडा का 1/5 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज व अंकित है । वादीगण के पिता नानूडा का स्वर्गवास वर्ष 1983 में हो गया। दौराने बंदोबस्त उपरोक्त साविक खसरा नम्बर के हाल आराजी भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 58 के खसरा नम्बर 267 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0. 4500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 281 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 64 पुराना खाता सख्या 55 के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 28 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 29 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 1.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 1. 80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 2.15 हैक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 9.72 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 90 पुराना 64 के खसरा नम्बर 269 रकबा 0.03 हैक्टेयर कायम किये गये है। भैरिया पुत्र आना की मृत्यू के उपरान्त उक्त आराजी में भैरिया के विरासत का नामान्तरण भैरिया के विधिक वारिसान नानूडा, गारिया, रामनाथ, कजोड व मोती के नाम वहिस्सा वराबर वराबर राजस्व रिकोर्डेड में दर्ज व अंकित किया गया । तत्पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के पूर्वज पिता/पति/दादा नानूडा के स्वर्गवास वर्ष 1983 में हो गया था के उपरोन्त नानूडा की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम तस्दीक नही किया जाकर केवल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 14 के पूर्वज के नाम तस्दीक किया गया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया । वादीगण के पिता नानूडा की मृत्यू के समय वादी संख्या 1 रमेश उम्र 17 वर्ष वादी संख्य 2 सूरज उम्र 9 वर्ष व वादी संख्या 3 संतोष उम्र 15 वर्ष थी अर्थात वादीगण अपने पिता के स्वर्गवास के समय नाबालिग थे। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुये मुख्य प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 4 लगायत 8 के पूर्वज [illegible] पूर्वज गुल्ला ने उक्त पैतृक आराजी का नामान्तकरण राजस्व कर्मचारियो [illegible] अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज अमल करवा [illegible] उक्त नानूडा पुत्र भौरिया की आराजी में वहिस्सा वरावर वरावर निहित था। विवादग्रस्त आराजी कृषि वादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का वाई बथ राईट निहित है । वादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल वोटर लिस्ट वर्ष 1955(प्रदर्श 1), नकल वोटर लिस्ट वर्ष 2019 (प्रदर्श 2), नकल मृत्यु प्रमाण प्रत्र नानूराम यादव उर्फ नानूडा(प्रदर्श 3), नकल पर्चा खतौनी वर्ष 1994 (प्रदर्श 4), नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2023 (प्रदर्श 5), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श 6), नकल खतौनी सन 2009

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

(प्रदर्श 7), नकल नामान्तकरण (प्रदर्श 8) प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य के रूप में रमेश पुत्र नानूडा (PW-1), संतोष पुत्री नानूडा (PW-2), सुरज पुत्र नानूडा (PW-3), के बयान मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिसके अनुसार वादीगण का भी उक्त नानूडा पुत्र भौरिया की आराजी में बहिस्सा बराबर बराबर निहित था। विवादग्रस्त आराजी कृषि वादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण का बाई बर्थ राईट निहित है। वादीगण ने उक्त आराजी पैतृक कहां है जोकि नकल वोटर लिस्ट वर्ष 1955(प्रदर्श 1), नकल वोटर लिस्ट वर्ष 2019 (प्रदर्श 2), नकल पर्चा खतौनी वर्ष 1994 (प्रदर्श 4), नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2010 से 2023 (प्रदर्श 5), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श 6), नकल खतौनी सन 2009 (प्रदर्श 7), नकल नामान्तकरण (प्रदर्श 8) से बखुबी साबित है तथा उक्त प्रदर्शित दस्तावेजो से यह साबित है कि नानूडा की विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम तस्दीक नही किया जाकर केवल प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 14 के पूर्वज के नाम तस्दीक किया गया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया । यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण ने भी वाद का समर्थन किया है तथा गवाह प्रतिवादीगण DW1 सोहन पुत्र काना पौत्र नानूडा, DW2 मुकेश पुत्र गुल्ला पौत्र नानूडा, DW3 तेजपाल पुत्र काना पौत्र नानूडा, DW4 राजेन्द्र पुत्र काना पौत्र नानूडा, DW5 दीपक पुत्र गुल्ला पौत्र नानूडा, DW6 बंशी पुत्र नानूडा पौत्र नानूडा, DW7 मंजु पुत्री काना पौत्री नानूडा, DW8 बबली पुत्री गुल्ला पौत्री नानूडा, DW9 सुन्दरी पत्नी काना पुत्रवधू नानूडा, DW10 सेडी पत्नी गुल्ला पुत्रवधू ने जाहिर किया है कि उक्त आराजी पैतक है तथा राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के कारण वादीगण का ना रह गया। वादीगण का उनके हिस्सेनुसार हक निहित है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को स्वयं का वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है।उपरोक्त विवेचन से वादीगण तनकी 01 व 02 को साबित करने में सफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया विवादित आराजी भूमि में वादीगण को हिस्सा 1/40 –1/40 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ताकि राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे ?

.... वादीगण

4. आया प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ?

.... वादीगण

उक्त तनकी संख्या 3 एवं 4 को साबित करने का भार वादीगण पर था। तनकी संख्या 1 एवं 2 वादी के पक्ष मे साबित होने से तनकी संख्या 3 एवं 4 भी वादी के पक्ष में साबित होना स्वभाविक है इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्थान सराकर के आदेश क्रमांक प.5 (1) राजस्व –6/97/18 दिनांक 08–01–2007 के विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो का जन्म से अधिकार होते है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय में पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में ही जोत का विभाजन करवा सकते है। उपरोक्त विधिक परिपत्र के आधार पर वादी का उक्त भूमि में जन्म से हक अधिकार निहित हो गया है। अतः तनकी 1 व 2 वादी के पक्ष में साबित होने से खसरा नम्बर 267 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0. 4500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 281 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 64 पुराना खाता सख्या 55 के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.05 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या नया 90 पुराना 64 के खसरा नम्बर 269 रकबा 0.03 हैक्टेयर में वादीगण को उनके पिता के हिस्से में 1/8–1/8 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में वादीगण प्रत्येक को हिस्सा 1/40–1/40 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

5. आया वादीगण, प्रतिवादीगण को उसके उपयोग उपभोग के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता ?

.... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इसके संबंध में प्रतिवादीगण ने मौखिक संख्या DW1 सोहन पुत्र काना पौत्र नानूडा, DW2 मुकेश पुत्र गुल्ला पौत्र नानूडा, DW3 तेजपाल पुत्र काना पौत्र नानूडा, DW4 राजेन्द्र पुत्र काना पौत्र नानूडा, DW5 दीपक पुत्र गुल्ला पौत्र नानूडा, DW6 बंशी पुत्र नानूडा पौत्र नानूडा, DW7 मंजु पुत्री काना पौत्री नानूडा, DW8 बबली पुत्री गुल्ला पौत्री नानूडा, DW9 सुन्दरी पत्नी काना पुत्रवधू नानूडा, DW10 सेडी पत्नी गुल्ला पुत्रवधू पेश किये है तथा यह उल्लेखनीय है कि जब वादीगण को अपने विवादित आराजी में से मिल चुकी है तो वह अन्य प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद नहीं करवा सकता है। वादीगण द्वारा भी इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 5 वादी के विरूद्व अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 10, 12 व 14 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 01 लगायत 04 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में सफल रहे हैं तथा वादीगण [illegible] है।

अतः वादीगण का वाद डिक्र किया जाता है। [illegible] जावे। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या - 33/2024
[illegible]
निर्णय दिनांक - [illegible]

डिक्री मुकदमा इजराई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती अंजू वर्मा
आर.ए.एस.

निष्पादन वाद संख्या - 33/2024   वाद प्रस्तुति दिनांक - 13.05.2024

1. [illegible] पुत्र नानूडा
2. [illegible] पुत्र नानूडा
3. [illegible] पुत्री नानूडा

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर

.... वादीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्र नानूडा
2. [illegible] पुत्र नानूडा
3. [illegible] पत्नी नानूडा [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible] पौत्र नानूडा
5. [illegible] पुत्र [illegible] पौत्र नानूडा
6. [illegible] पुत्र [illegible] पौत्र नानूडा
7. [illegible] पुत्री [illegible] पौत्री नानूडा
8. [illegible] पत्नी [illegible] पुत्रवधू नानूडा
9. [illegible] पुत्र [illegible] पौत्र नानूडा
10. [illegible] पुत्र [illegible] पौत्र नानूडा
11. [illegible] पुत्र [illegible] पौत्र नानूडा
12. [illegible] पुत्री [illegible] पौत्री नानूडा
13. [illegible] पुत्री [illegible] पौत्री नानूडा
14. [illegible] पत्नी [illegible] पुत्रवधू नानूडा

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम [illegible] तहसील आमेर जिला जयपुर

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर [illegible] जिला जयपुर।
16. उप पंजीयक आमेर तहसील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा धारा - 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955

[illegible] 1 व 2 वादी के पक्ष में घोषित होने से खसरा नम्बर 287 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.4800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 29[illegible]

रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.45 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 64 पुराना खाता सख्या 55 के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.05 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या नया 90 पुराना 64 के खसरा नम्बर 269 रकबा 0.03 हैक्टेयर में वादीगण को उनके पिता के हिस्से में 1/8–1/8 अर्थात सम्पूर्ण भूमि में वादीगण प्रत्येक को हिस्सा 1/40–1/40 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.02.12 15:18:31 IST
Reason: SelfAttested